(iii) विकास का कानूनी खाका; तथा (iv) सूचना तथा पारदर्शिता। 1992 में ही विश्व बैंक के एक दस्तावेज 'गवर्नेन्स एण्ड डेवलपमेंट' में गवर्नेन्स की परिभाषा इस प्रकार की गई–"शासन की परिभाषा उस तरीके के रूप में की गई है जिसमें विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबन्ध में 'शक्ति' का प्रयोग किया जाता है।" इसी प्रकार 'ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कोपरेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट' (OECD) के नीति-निर्देशकों में 'गवर्नेन्स' के निम्न घटक बताए गए हैं[34]– (i) सरकार की वैधता; (ii) सरकार के राजनीति और कार्यालयी तत्त्वों की जबाबदेयता; तथा (iii) 'मानवाधिकारों' तथा 'विधि के शासन' के प्रति सम्मान। वस्तुतः 'गुड-गवर्नेन्स' ने लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार किया है, क्योंकि यह औपचारिक संगठनों के साथ-साथ अनौपचारिक संगठनों व संस्थाओं के महत्त्व को भी स्वीकारती है। यह लोकतन्त्र की जड़े मजबूत करने का प्रयास है तथा यह लोक प्रशासन को अधिकाधिक 'खुला', 'जबाबदेय' तथा 'पारदर्शी' बनाने का आग्रह करती है।

**अद्यमीकर्ता शासन** (Enterpreneurial Government)

डेविस ऑस्बर्न तथा टेड गैबलर ने 1992 में अपनी पुस्तक 'रीइन्वेन्टिंग गवर्नमेन्ट' (Reinventing Government) में 'उद्यमीकर्ता शासन' के लिए एक 10-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये 10 बातें निम्नवत हैं[35]– (1) उद्यमी शासन वस्तुओं और सेवाओं के प्रदायकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। (2) ये नौकरशाही पर नियन्त्रण रखते हुए नागरिकों को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। (3) ये सरकारें अपनी एजेन्सियों के निष्पादन को उनके निर्गतों (Outputs) के आधार पर मापती है न कि आगतों (Inputs) के आधार पर। (4) ये सरकारें अपने 'मिशन' से संचालित होती है न कि उनके नियमों/विनियमों से। (5) वे अपने ग्राहकों को उपभोक्ता समझती हैं तथा उनको विकल्प (Choices) उपलब्ध कराती है। (6) ये समस्याओं को पैदा होने से बचाती है। (7) ये अपनी उर्जा धन कमाने पर लगाती है न कि सिर्फ धन खर्च करने पर। (8) वे सत्ता का विकेन्द्रीकरण करती हैं तथा सहभागी प्रबन्ध को बढ़ाती है। (9) वे नौकरशाही की तुलना में बाजार-तन्त्र को वरीयता देती है। (10) ये सिर्फ जनता की सेवा करने तक ही सीमित नहीं होती है अपितु सामुदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लोक, निजी तथा स्वैच्छिक सभी क्षेत्रों को उत्प्रेरित करती है।

**नव लोक प्रबन्धन** (New Public Management)

20वीं सदी के अन्तिम दशक काफी उथल-पुथल के रहे। आर्थिक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। ऐसे माहौल में 1990 के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध के एक नए प्रतिमान का उद्य हो रहा था। वस्तुतः यह 'गुड-गवर्नेन्स' के लिए एक जीवन्त इनपुट है। इसे ही 'नव लोक प्रबन्ध' (NPM), 'प्रबन्धवाद', 'बाजार आधारित लोक प्रशासन', 'उद्यमी शासन' आदि प्रत्ययों से सम्बोधित किया गया।[36] 'नव लोक प्रबन्धन' परम्परागत लोक प्रशासन के दो महत्त्वपूर्ण मूल्यों– मितव्ययता तथा कार्यकुशलता में एक और मूल्य 'प्रभावकारिता' को शामिल करता है। इस प्रकार नया प्रतिमान 'मितव्ययता-कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता' (Economy, Efficiency and Effectiveness) को लागू करने का प्रयास है। 'नव लोक प्रबन्धन' की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं[37]– (i) यह प्रबन्धन पर केन्द्रित है, न कि सिर्फ नीति पर, इसमें निष्पादन मूल्यांकन तथा कार्यकुशलता पर बल

55918



दिया जाता है; (ii) सार्वजनिक नौकरशाहियों को ऐसी एजेन्सियों के रूप में विघटन करना जो एक-दूसरे के साथ उपयोग-भुगतान आधार पर जुड़ी हों; (iii) अर्द्ध-बाजार का उपयोग करना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अनुबन्ध करना; (iv) लागत कम करने पर जोर; तथा (v) प्रबन्ध की एक ऐसी शैली पर जोर देना जो निर्गत-लक्ष्यों, सीमित अवधि अनुबन्धों, मौद्रिक प्रोत्साहनों तथा प्रबन्ध की स्वतन्त्रता पर ध्यान देती है।

एन.पी.एम. के निम्न घटक हैं[38]– (i) नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाएँ जिनको वे महत्त्व दे सकें। (ii) इसके लिए प्रबन्धकों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। (iii) व्यक्तियों और संगठनों के कार्य निष्पादन का कड़ा मापन हो। (iv) निष्पादन लक्ष्यों के लिए प्रबन्धकों को समर्थन सेवाएँ प्रदान की जाएँ। (v) प्रतिस्पर्धा तथा निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएँ। उल्लेखनीय है कि एन.पी.एम. तो 'गुड-गवर्नेन्स' को परिचालित करने का एक जीवन्त इनपुट है।[40]

## प्रशासनिक चिन्तन का इतिहास
## (History of Administrative Thought)

प्रशासनिक चिन्तन का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव सभ्यता। विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में प्रशासन का तत्त्व अवश्य देखने को मिलता है। जहाँ तक प्रशासनिक चिन्तन का प्रश्न है, प्राचीन काल में इसे राजनीतिक चिन्तन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस रूप में प्रशासनिक चिन्तन के कुछ तत्त्व हम प्लेटो की 'रिपब्लिक' तथा अरस्तु की 'पोलिटिक्स' में देख सकते हैं। भारतीय चिन्तकों में कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' की गणना एक अद्वितीय ग्रन्थ के रूप में की जाती है। प्रशासनिक चिन्तन की इस परम्परा में थॉमस मूर की 'यूटोपिया' तथा मॉण्टेस्क्यू की 'द स्पिरिट ऑफ लॉज' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मैकियावली की 'द प्रिंस' मध्यकाल में राजनीतिक, प्रशासनिक चिन्तन को कौटिल्य के चिन्तन के समान माना जाता है। इसी काल में थॉमस हॉब्स की 'लेवियाथन' तथा जॉन लॉक की 'टू ट्रिटाइसेज ऑफ गवर्नमेन्ट' महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं जिनमें प्रशासनिक चिन्तन के तत्त्व मिलते हैं। जीन जैक्स रूसो की पुस्तक 'द सोश्यल कोन्ट्रेक्ट' ने निश्चित रूप से राजनीतिक-प्रशासनिक चिन्तन को आगे बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि चूँकि19वीं सदी के अन्त तक 'लोक प्रशासन' एक पृथक् विषय के रूप में पहचान नहीं बना पाया था, फलतः हमें प्रशासनिक चिन्तन की परम्परा को राजनीतिक चिन्तन की परम्परा में ही ढूंढ़ना पड़ता है।

18वीं शताब्दी में जर्मनी और आस्ट्रिया में 'कैमरलवादियों' (Cameralists) ने प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया। 'कैमरलवादियों' ने लोक प्रशासन के अध्ययन में काफी रुचि दिखाई तथा उन्होंने लोक प्रशासन विषयक अनुसन्धान भी किए। जॉर्ज जिंके कैमरलवादियों के प्रमुख विद्वान् थे। जहाँ तक प्रशासनिक चिन्तन के व्यवस्थित युग के प्रारम्भ होने का प्रश्न है, यह 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध के पश्चात् ही प्रारम्भ हो सका। वुडरो विल्सन के 1887 में प्रकाशित लेख 'द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' के पश्चात् ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में अस्तित्त्व सामने आया। तब से लेकर अब तक प्रशासनिक चिन्तन के इतिहास में अनेक विचारधाराओं (Schools) का विकास हुआ जो निम्न है–

Scanned with OKEN Scanner